(78)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2013 निगरानी – R-1551-III/13

संतोष कुमार पुत्र मन्नूलाल ब्राहम्ण
निवासी ग्राम सर्करा, तेहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर

—— आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

—— अनावेदकग

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2012 पारित द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 69/स्वमेव निगरानी/ 06–07 व उनवान शासन बनाम संतोष ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(1) यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम सर्करा तेहसील ईसागढ़ के सर्वे क्रमांक 931 रकवा 3.365 हैक्टेयर भूमि के भाग 1 हैक्टेयर पर आवेदक का कब्जा अतिक्रामक के रूप में था जिसके आधार पर आवेदक ने तेहसील न्यायालय ईसागढ़ में व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 40–अ/93–94 पर पंजीबद्ध किया गया तेहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत् न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन (विज्ञप्ति जारी की) ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन पटवारी प्रतिवेदन कथन मौके की रिपोर्ट स्थिति की जॉच कर कथन अंकित कर नायब तेहसीलदार महोदय ईसागढ़

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1551–तीन/2013 जिला अशोकनगर

संतोष कुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदक अधिवक्ता एवं शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि कलेक्टर अशोकनगर ने नायब तहसीलदार तहसील ईसागढ के प्रकरण कमांक 40/अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 29–4–94 में जारी व्यवस्थान आदेश में अनिमितता पाते हुये प्रकरण में स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदक से जबाव प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही उपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19–12–12 में यह निष्कर्ष निकालते हुये आवेदक का कब्जा 02–10–1984 के पूर्व से कब्जा न होने से पात्र नहीं माना तथा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि 94 के व्यवस्थापन आदेश को 2004 में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि पूर्व के आदेश में हुई अवैधानिकता तथा अनियमितता की जांच के लिए समय–सीमा का वर्जन नहीं है। इस संबंध में 2007 आर0एन0 399 (उच्च न्यायालय) निर्मल कुमार जैन विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) — धारा 50 — स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां – भूमि का अवैध आवंटन – 10–15 वर्ष पश्चात भी अपास्त किया जा सकता है। ए0आई0आर0 1969 एस.सी. 1297 प्रभोदित 2002 आर0एन0 अवलंबित। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अभिलेख का अध्ययन कर पूर्ण विवेचना उपरांत नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है।	

चूंकि आवेदक द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र की शर्तों का पूरा नहीं करने के बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत व्यवस्थापन आदेश पारित किया था जिसे कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में त्रुटिपूर्ण पाते हुये निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 19–12–12 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य